कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक, नागौर –राज0

क्रमांक–शिजिशा / प्रार / सा–1 / मान्यता / 2015–16 / 9011 दिनांक– 25/06/15

विवेक टैक्नो स्कूल, गोगेलाव
पंचायत समिति, नागौर

विषय :– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम,2010 के नियम 15 क उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र ।

....

महोदय / महोदया,

आपके तारीख 29 / 04 / 2015 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मै विवेक टैक्नो स्कूल, गोगेलाव पंचायत समिति नागौर जिला नागौर को वर्ष 2015–16 से वर्ष 2017–18 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 01(नर्सरी) से 05 तक के लिए अनंतिम मान्यता (माध्यम अंग्रेजी) प्रदान की संसूचना देता हूँ ।

उपरोक्त मूजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किए जाने के अध्यधीन है :–

1. संस्था सत्र 2015–16 में कक्षा 05 तक संचालित करेगी ।
2. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसके किसी भी रूप मे कक्षा –5 के पश्चात् मान्यता / संवधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं हैं ।
3. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधो का पालन करेगा ।
4. विद्यालय कक्षा–1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) , उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा–विहिन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा ।
5. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपवंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा । ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा ।
6. सोसायटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता / पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा ।

VIVEK TECHNO SCHOOL
GOGELAW

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक, नागौर

12.12.2024

PRINCIPAL
Vivek Techno School
Gogelaw, Nagaur (Raj.)

7. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा ।

विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :–

1. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसके विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा ।
2. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न से अध्यधीन नहीं किया जायेगा ।
3. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।
4. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येग बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा ।
5. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्ततायग्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना ।
6. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन तथा अधीकथित न्यनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतताएं नहीं है । पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतताएं अर्जित करेंगे ।
7. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता हैं ।
8. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों के नियोजित नहीं करेगें ।

8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठचर्या के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा ।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा । अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाए निम्नानुसार हैं

अ– विद्यालय परिसर का क्षैत्रफल
ब– कुल निर्मित क्षैत्र
स– किड़ा स्थल का क्षैत्रफल
द– कक्षाओं की संख्या
य– प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भांडागार के लिए कक्ष
र– बालक और बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक शौचालय
ल– पेयजल सुविधा
व– मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई
ह– बाधारहित पहुँच
स– अध्यापन पठन सामग्री/किया खेल–कूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता

10. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाऐं नहीं चलाई जायेगी ।

VIVEK TECHNO SCHOOL * GOGELAW *

GM
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक, नागौर

12.12.2024
PRINCIPAL
Vivek Techno School
Gogelaw, Nagaur (Raj.)

11. विद्यालयों भवनों या अन्य सरंचनाओं या कीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता हैं ।
12. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकृत नियम 1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधिन गठित लोक न्यारा द्वारा चलाया जा रहा है
13. स्कूल को किसी व्यश्टि,व्यश्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है ।
14. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउण्टेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिएं और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिएं प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भिजवायी जानी चाहिएं ।
15. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक......1309...... हैं । कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें ।
16. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता हैं , जो समय समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय अधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है । जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें ।
17. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो तो को सुनिश्चित किया जावे ।
18. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्तें ।

भवदीय

GM

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक, नागौर
दिनांक:–

कमांक:–सम/2015–16/
प्रतिलिपि :–
01– ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति, नागौर ।
02 – कार्यालय प्रति ।

VIVEK TECHNO SCHOOL
GOGELAW

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक, नागौर

2.12.2024

PRINCIPAL
Vivek Techno School
Gogelaw, Nagaur (Raj.)